न्यायालय नाय[illegible]

मु.नं. 20 तारीख रजू. 14-1-17

आज पत्रावली व मुकाम तलावड़ा

रिपोर्ट पटवारी ग्राम खेड़ापाडारामगढ़

श्री मुरारी पुत्र श्री गिरधारी जाति जोगी

निवासी खेड़ापाडारामगढ़ द्वारा आराजी खसरा नं. 184 रकवा 0.10

किस्म जमीन चारागाह मौजा खेड़ापाडारामगढ़ पर सम्वत् 2075

में अतिक्रमण का काश्त कब्जा कर लिया है। गैर सायल को नियमानुसार धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम सन् 1956 संशोधित दिनांक 2/10/1975 के तहत नोटिस जारी बाद तामील शामिल किया गया। अतिक्रमी बाबजूद तामील के भी हाजिर नहीं हैं। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है । अतिक्रमी हाजिर है उसने कोई जबाब व सबूत पेश नहीं किया है अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा काश्त किया है उसको अतिक्रमी करार दिया जाता है।

अतः गैर सायल श्री मुरारी की आरजी खसरा न० 184 रकवा 0.10 मौजा खेड़ापाडारामगढ़ से बेदखल किया जाता है लगान दर 8.50 से उक्त रकवा के लगान 0.85 का 50 गुना से शास्ति 43 कायम की जाती है। बेदखली हेतु पटवारी को लिखा जावे तथा आई.एल.आर. को आदेश जारी हो कि उक्त रकवे की खड़ी फसल को जब्त करे नीलामी कार्यवाही करें एवं फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति पेश करें तथा राजस्व लेखाकार व पटवारी को जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर ही निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

रजिस्टर 'घ' के पृष्ठ सं. 101
पर शास्ति राशि 43
दि. 13-2-17 को कायम किया
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
तहसील तलावड़ा